

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विविध-01-33/2025-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा समर्ग/बिहार दत्त सेवा समर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को कडिका-04 में अंकित प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है-

क्र० स०	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
1	2	3	4
1	डा० सुजीत कुमार, दत्त चिकित्सक, प्रा०स्वा० केन्द्र, शाहपुर, भोजपुर	28 11 84	71वीं BPSC Examination के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि चयनोपरान्त योगदान पूर्व वर्तमान धारित पद से त्यागपत्र देना होगा।
2	डा० आयुष राज, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, बिदुपुर, वैशाली	20 02 89	1. NEET SS-2024 के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा। 2 ESIC PGIMSRs and ESIC Medical College में सहायक प्राध्यापक एवं आई०जी०आई०एम०एस०, पटना के द्वारा विज्ञापित पद सहायक प्राध्यापक-2025 के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि चयनोपरान्त योगदान पूर्व वर्तमान धारित पद से त्यागपत्र देना होगा।
3	डा० प्रत्यय अमृत, चिकित्सा पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग	13 09 93	FET-2024 NBEMS, New Delhi द्वारा आयोजित FNB कोर्स में काउंसलिंग एवं नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।
4	डा० सत्यम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, अमदाबाद, कटिहार	13 02 97	NEET SS-2024 के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।
5	डा० मनीष कुमार सिंह, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), शिशु रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा	12 11 88	NEET SS-2024 के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।

02 कम स० 02 से 05 में अंकित चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरगित होना सुनिश्चित करेंगे।

03 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

346(3)
16/6/25

ज्ञापाक

346/37

/रवा0, पटना, दिनाक:

16/6/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एव ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/सबधित प्राचार्य/सबधित अधीक्षक/सबधित निदेशक/सयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0), कारा एव सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना/सबधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सबधित कोषागार पदाधिकारी/सबधित चिकित्सा पदाधिकारी/दत चिकित्सक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एव 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिरट को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

W. M. K. 16/6/25
सरकार के अवर सचिव